

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा  
पीठासीन अधिकारी :- महीपाल सिंह आर०ए०एस०

मुकदमा संख्या :- 32/2022 प्रा०फ्त

1. मांगु शि० रामपाल गुर्जर ति० बावरी तह० नैरा-ना०

प्रार्थी

बनाम

1. रामपाल गुर्जर ति० बावरी तह० नैरा-ना०

विपक्षीय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956

:: आदेश :: दिनांक 25/5/22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा०भू०रा०अधि० 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम बावरी पटवार हल्का बावरी तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता संख्या 89 आराजी नम्बर 30 31 32 33 34 35 36 37 38

30	31	32	33	34	35	36	37	38
0.0105	0.2782	0.2909	0.6323	0.0506	0.4047	0.644	0.112	0.256
0.3520	0.310	0.58	कुल कित	रकबा	4.9827			

हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीयण के मध्य आराजी मुतदाविया के सीमा बिन्दु नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 25/5/22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अर्देशा नही है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बावरी पटवार हल्का बावरी तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 89 आराजी नम्बर 30 31 32 33 34 35 36 37 38

30	31	32	33	34	35	36	37	38
0.0105	0.2782	0.2909	0.6323	0.0506	0.4047	0.644	0.112	0.256
0.3520	0.310	0.58	कुल कित	रकबा	4.9827			

हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने हेतु मू-अभिलेख निरीक्षक बावरी को 350/- रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्न- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

प्रतिलिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा ससि जमा कराने पर निम्नानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

प्रभासिपखण्ड  
रुपये शिवा अलख  
करेडा

प्रभासी अधिकारी  
रुपये उपखण्ड अधिकारी  
करेडा जिला भीलवाडा

2022/363